

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021  
कैम्प ग्राम पंचायत 3M.K.

Form No-|||

फर्ट अहकाम (नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

सुरजीत सिंह केगा 14 P.S.B. बनाम सरकार

रायसिंहनगर

किसा मुकदमा 136 एल आर एक्ट

नाम्बर 215 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी किए
12-11-21	<p>तहसीलदार भूअ./नायब तहसीलदार <u>मुकल्ला</u></p> <p>रायसिंहनगर के पत्रांक/भूअ./प्र.गां.सं.अ./2021 <u>718-718B</u> दिनांक <u>12-11-21</u> के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>3M.K.</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>14 P.S.B.</u> की जमाबंदी सम्बत् <u>2079-71</u> के खाता सं. <u>71</u> में</p> <p><u>सुरजीत सिंह केगा</u> <u>ग्राम</u> <u>ग्रामेल सिंह</u></p> <p>के स्थान पर <u>सुरजीत सिंह केगा</u> <u>ग्राम</u> <u>ग्रामेल सिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशांषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मुकल्ला</u> रायसिंहनगर की अनुशांषा के आधार पर वाके चक <u>14 P.S.B.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्बत् <u>2079-71</u> के खाता सं. <u>71</u> में</p> <p><u>सुरजीत सिंह केगा</u> <u>ग्राम</u> <u>ग्रामेल सिंह</u> <u>केगा</u></p> <p>के स्थान पर <u>सुरजीत सिंह केगा</u> <u>ग्राम</u> <u>ग्रामेल सिंह</u></p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)  
उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर  
कैम्प - 3M.K.